

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2016/माघ 20, 1937

No. 59]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2016/MAGHA 20, 1937

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2016

यूजीसी(सम-विश्वविद्यालय रूपी संस्थान)(तृतीय संशोधन) विनियम 2016

मि.सं.6-1(ii)/2006(सीपीपी-I/डीयू-1.(1) ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम-विश्वविद्यालय रूपी संस्थान) (संशोधन) विनियम, 2016 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से ही लागू होंगे।

1. विनियमों की धारा 12.03ए में निम्न परंतुक सम्मिलित किया जाएगा, नामतः—  
“बशर्ते वाह्य परिसरों के विषय में उपरोक्त प्रतिबन्ध उन सम- विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं होंगे जिन मानित विश्वविद्यालयों को सरकार द्वारा स्थापित एवं प्रबन्धित किया गया है।”
2. इन विनियमों के अनुलग्नक 2 में :—  
धारा 6.2 (कुलपति) की उप-धारा (i), निम्न द्वारा प्रतिस्थापित होगी, नामतः—  
“(i) कुलपति सम-विश्वविद्यालय संस्थान के पूर्ण कालिक वैतनिक अधिकारी होंगे तथा उनकी नियुक्ति विजिटर/कुलाधिपति द्वारा खोज-सह-चयन समिति द्वारा सुझाये गए तीन नामों के पैनल में से की जाएगी।”  
कौशल, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता से जुड़े उच्चतम स्तरों वाले व्यक्ति ही कुलपतियों के रूप में नियुक्त किये जा सकते हैं। नियुक्त किये जाने वाले कुलपति, एक ऐसे विशिष्ट शिक्षाविद् होने चाहिए जिन्हें विश्वविद्यालयी प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम दस वर्ष का प्रोफेसर के रूप में अनुभव है अथवा किसी प्रतिष्ठित शोध/अथवा अकादमिक प्रशासनिक संगठन में समतुल्य पद पर दस वर्ष का अनुभव है।  
कुलपति का चयन खोज-सह-चयन समिति के गठन के अनुसार निम्नवत् किया जाएगा:—  
  
I. ऐसे मामले, जहां किसी सम-विश्वविद्यालय संस्थान का प्रबन्धन नियन्त्रण, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के हाथ में हैं, इन मामलों में कुलपति का चयन उस प्रणाली के अनुसार किया जाएगा जैसे कि केन्द्र सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।

